बप्पा उर्फ बापू

बनाम

महाराष्ट्र राज्य व अन्य

5 अगस्त, 2004

[अरिजीत पसायत व सी. के. ठाकर, जे.जे.]

भारतीय दंड संहिता, 1860-धारा 307 के तहत अभियोजन-आहत के साक्ष्य के आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दोषसिद्धि-अपील में अभिनिर्धारित किया गयाःदोषसिद्धि न्यायोचित-उक्त धारा के तहत दोषसिद्धि को न्यायोचित ठहराया जा सकता है यदि उसके निष्पादन में किसी स्पष्ट कार्य के पालन करने का इरादा मौजूद है-यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु का कारण बनने में सक्षम चोट होनी चाहिए थी-आरोपी के कार्य तथा उसके परिणाम के बीच अंतर है-हालाँकि, सजा को घटाकर 5 साल कर दिया गया।

यह आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ता-अभियुक्त, पीडब्लू-10 के साथ सिनेमा देखने गया था और लौटते समय, उसने अचानक पीडब्लू-10 को उसके पेट और पीठ पर चाकू मार दिया तथा उसकी गर्दन को दबाने लगा। मदद के लिए चिल्लाने पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए और अपीलार्थी-अभियुक्त को पकड़ लिया। वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया और 10 साल के कठोर कारावास तथा

जुर्माने से दण्डित किया गया। उसकी अपील उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी।

अपील पर, अपीलार्थी ने तर्क दिया कि चोटों की प्रकृति को देखते हुए, अपराध धारा 307 से संबंधित नहीं हो सकता है; और 10 साल की सजा कठोर थी।

अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, न्यायालय द्वारा अवधार्रित किया गया कि:-

1.1. अभियुक्त/अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उचित रूप से दोषी ठहराया गया है। यह धारा 307 के तहत दोषसिद्धि को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त है, यदि उसके निष्पादन में किसी स्पष्ट कार्य के साथ कोई इरादा मौजूद है। यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु का कारण बनने में सक्षम शारीरिक चोट लगी हो। यद्यपि वास्तव में कारित हुई चोट की प्रकृति अभियुक्त के इरादे के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में अक्सर महत्वपूर्ण सहायता दे सकती है। ऐसा इरादे का अन्य परिस्थितियों से भी अनुमान लगाया जा सकता है, और कुछ मामलों में, वास्तविक घावों के किसी भी संदर्भ के बिना भी पता लगाया जा सकता है। यह धारा अभियुक्त के कार्य और उसके परिणाम, यदि कोई हो, के बीच अंतर करती है। न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या कार्य, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो, इरादे या ज्ञान के साथ और

धारा में उल्लिखित परिस्थितियों के अधीन किया गया था या नहीं। अपराधी बनने के प्रयास के लिए अंतिम कार्य होने की आवश्यकता नहीं है। [355-ए-सी]

सरजू प्रसाद बनाम बिहार राज्य, ए.आई.आर.(1965) एस.सी.843; महाराष्ट्र राज्य बनाम बलराम बामा पाटिल व अन्य। [1983]2 एससीसी 28; गिरिजा शंकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जे.टी.(2004)2 एस.सी. 140 और वसंत विट्ठू जाधव बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2004) ए.आई.आर. एस.सी.डब्ल्यू. 1523, पर निर्भर किया गया।

2. यद्यपि पीड़ित को लगी चोटें गंभीर प्रकृति की थी लेकिन मामले की पृष्ठभूमि तथा विशिष्ट विशेषताओं को देखते हुए, 5 साल के कठोर कारावास की हिरासत की सजा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगी।[355-जी]

आपराधिक अपील अधिकारिताः आपराधिक अपील सं 798/2004

बॉम्बे उच्च न्यायालय के आपराधिक अपील नम्बर 94/1990 में पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 4.6.2002 से।

अपीलार्थियों की ओर से मकरंद डी. अदकर, विजय कुमार, अनुराग किशोर व विश्वजीत सिंह।

प्रत्यर्थी की ओर से रविन्द्र केशवराव एडश्योर

न्यायालय का निर्णय अरिजीत पसायत, जे. द्वारा प्रसारित किया गया।

अनुमति दी गई।

अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता (संक्षेप में आई.पी.सी.) की धारा 307 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया तथा दस वर्ष के कठोर कारावास व 5,000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया जो डिफ़ॉल्ट शर्त के साथ था। यह भी निर्देश दिया गया कि जुर्माना जमा करने की स्थिति में 2,000 रुपये की राशि का आहत को प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जाये। राव साहब नागोराव खोसे को भी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 सपठित धारा 109 के तहत मामले का सामना करना पड़ा। अधीनस्थ न्यायालय ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया था लेकिन बंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद पीठ के समक्ष अपीलार्थी की अपील से अपीलार्थी को कोई राहत नहीं मिली।

मुकदमे के दौरान अभियोजन संस्करण इस प्रकार हैः-

अभियुक्त बप्पा उर्फ बापू(ए-1) बिभीषण(पीडब्लू-10) के साथ सिनेमा देखने गए था और वे साइकिल से वापस आ रहे थे। अचानक अपीलार्थी साइकिल से उतर गया और बिभीषण के पेट और पीठ पर चाकू मार दिया और उसकी गर्दन दबाने लगा। उसका चिल्लाना सुन कर मदद के लिए कुछ ग्रामीण भागते हुए आए। आरोपी ने भागने की कोशिश की लेकिन ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया। दो अन्य व्यक्ति, जिनमें से एक राजभाऊ, जैसाकि

ऊपर उल्लेख किया गया है, पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 सपठित धारा 109 के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया गया था। दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर अनुसंधान किया गया और आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर, विशेष रूप से पीड़ित के साक्ष्य पर विचार करने पर, विद्वान सहायक सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया और सजा सुनाई। उसे 10 साल के लिए कठोर कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माना से डिफ़ॉल्ट शर्त के साथ दण्डित किया गया। अभियुक्त ने बॉम्बे उच्च न्यायालय, औरंगाबाद पीठ के समक्ष अपील की जिसे विवादित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, कारित चोटों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अपराध को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के तहत दण्डनीय नहीं कहा जा सकता है बल्कि वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324 या धारा 326 से संबंधित है। वैकल्पिक रूप से यह भी अभिकथन किया गया कि 10 साल की हिरासत की सजा कठोर है।

दूसरी ओर राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय और उच्च न्यायालय ने तथ्यात्मक स्थिति का विस्तार से विश्लेषण किया है और आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सही तरीके से दोषी ठहराया

गया है। कारित चोटों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि सजा अत्यधिक है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 इस प्रकार हैः

"हत्या करने का प्रयत्न- जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए, तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास से या ऐसे दण्ड से दण्डनीय होगा, जैसा एतस्मिनपूर्व वर्णित है।"

यह धारा 307 के तहत दोषसिद्धि को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त है यदि उसके निष्पादन में किसी स्पष्ट कार्य के पालन करने का इरादा मौजूद है। यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु का कारण बनने में सक्षम शारीरिक चोट लगी हो। यद्यपि वास्तव में कारित हुई चोट की प्रकृति अभियुक्त के इरादे के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में अक्सर महत्वपूर्ण सहायता दे सकती है। ऐसा इरादे का अन्य परिस्थितियों से भी अनुमान लगाया जा सकता है, और कुछ मामलों में, वास्तविक घावों के किसी भी संदर्भ के बिना भी पता लगाया जा सकता है। यह धारा अभियुक्त

के कार्य और उसके परिणाम, यदि कोई हो, के बीच अंतर करती है। न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या कार्य, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो, इरादे या ज्ञान के साथ और धारा मे उल्लिखित परिस्थितियों के अधीन किया गया था या नहीं। अपराधी बनने के लिए एक प्रयास को अंतिम कार्य होने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई इरादा मौजूद है और उसके निष्पादन में कोई स्पष्ट कार्य किया गया है तो यह विधि में पर्याप्त है।

सरजू प्रसाद बनाम बिहार राज्य, ए.आई.आर.(1965) एस.सी. 843 में यह पाया गया था कि केवल यह तथ्य कि वास्तव में अभियुक्त द्वारा कारित चोट ने पीड़ित के किसी भी महत्वपूर्ण अंग को नहीं काटा, स्वयं इस कृत्य को धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता की परिधि से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है।

उपरोक्त स्थिति को महाराष्ट्र राज्य बनाम बलराम बामा पाटिल और अन्य, [1983] 2 एस.सी.सी. 28, गिरिजा शंकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जे.टी.(2004)2 एस.सी. 140 और वसंत विट्ठू जाधव बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2004) ए.आई.आर. एससीडब्ल्यू 1523 में उजागर किया गया था।

उपरोक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सही तरीके से दोषी ठहराया गया है। शेष प्रश्न यह है कि क्या 10 साल की

कठोर कारावास की सजा उचित है। इसमें कोई संदेह नहीं है, जैसा कि अधीनस्थ न्यायालय और उच्च न्यायालय ने देखा कि पीड़ित को लगी चोटें गंभीर प्रकृति की थी लेकिन मामले की पृष्ठभूमि के तथ्यों और विशिष्ट विशेषताओं पर विचार करते हुए 5 साल के कठोर कारावास की अभिरक्षा की सजा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगी।

ऊपर उल्लिखित सीमा तक अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

के.के.टी. अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नारायण प्रसाद (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।